न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज(जू0डि0) बाजपुर
जिला उधम सिंह नगर।
फौजदारी वाद संख्या–850/2022
राज्य बनाम रोबिन

बाहदू–

दिनांक–18.03.2026

पत्रावली कार्यालय से पेश हुई। अभियुक्त मय विद्वान अधिवक्ता **श्री गुरनाम सिंह** उपस्थित। अभियुक्त की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया गया, जो पत्रावली पर समायोजित किया गया।

2. अभियुक्त के द्वारा यह कथन किया गया कि उपरोक्त वाद में अभियुक्त अपना जुर्म इकबाल करता है तथा जुर्म इकबाल के आधार पर उक्त मुकदमें का निस्तारण आज ही कराना चाहता है। अभियुक्त की पहचान विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी।

3. अभियुक्त के द्वारा अपने अपराध को स्वेच्छा से स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त द्वारा जुर्म को स्वेच्छा से स्वीकार किया गया है। अतः अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा से की गयी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा–60(1) आबकारी अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हैं। उसे दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

4. अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि वह एक गरीब व्यक्ति है तथा उसने कम से कम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की है।

5. पत्रावली में आये हुए उपरोक्त निष्कर्षों एवं अभियुक्त के द्वारा दण्ड के प्रश्न पर किये गये अभिकथनों के प्रकाश में एवं अभियुक्त के विरूद्ध अधिरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–60(1) आबकारी अधिनियम को दृष्टिगत रखते हुये, जहॉ कि अभियोजन के द्वारा इस स्तर पर अभियुक्त के विरूद्व कोई पूर्व दोषसिद्वि साबित नहीं की गयी है, अभियुक्त को इस अपराध में निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

अभियुक्त **रोबिन** को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा–60(1) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत दोषसिद्व करते धारा–60(1) आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक की सजा तथा मुव0–5,000/–रूपये (पॉच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त 10 (दस) दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास व्यतीत करेगा।

अभियुक्त के कब्जे से बरामद माल, बाद मियाद अपील नियमानुसार विनिष्ट किया जाये। कार्यालय को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त के विरूद्ध जारी आदेशिकाऍ, यदि जारी किये गये हो, को अविलंब संबंधित थाने से वापस मंगवाया जाये तथा उक्त आदेश से सम्बन्धित थाने को सूचित किया जाये।

चूंकि पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर प्रेषित की जाये।

(परितोष)
अपर सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
बाजपुर, जिला उधम सिंह नगर।